उपखण्ड अधिकारी
पुष्कर (अजमेर)

9/6/21

पत्रावली पेश हुई । उभय पक्ष के वकील अनुपस्थित । आज समय चाहा गया । मिसल आइन्दा तारीख 5/8/21 को वास्ते पूर्व आदेश की पालना में पेश हो .

उपखण्ड अधिकारी
पुष्कर (अजमेर)

5/8/21

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी अभिभाषक उपस्थित। पैरोकार सरकार उपस्थित। समय चाहा। पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 22/9/21 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
पुष्कर (अजमेर)

22/9/21

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी अभिभाषक उपस्थित। पैरोकार सरकार उपस्थित। समय चाहा। पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 20/10/21 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
पुष्कर (अजमेर)

20/10/21

पत्रावली पेश हुई । उभय पक्ष के वकील अनुपस्थित । आज समय चाहा गया । मिसल आइन्दा तारीख 27/10/21 को वास्ते पूर्व आदेश की पालना में पेश हो .

उपखण्ड अधिकारी
पुष्कर (अजमेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2021.12.02 10:44:26 IST
Reason: SelfAttested

27/10/21

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थीगण अभिभाषक व पैरोकार सरकार उपस्थित । उभय पक्ष बहस सुनी गयी । वकील प्रार्थीगण ने अपनी बहस मे बताया कि प्रार्थीगण के पिता व पति

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	वर्तमान राजस्व कानून आने से पूर्व से साबिक ख.न. 811 रकबा 26-05 बीघा मे से 5 बीघा भूमि पर काबिज काश्त है। सेटलमेन्ट 1970-71 मे साबिक ख.न. 811मिन रकबा 05-00 बीघा मे से नवीन ख०न० 999 रकबा 04-00 बीघा पर प्रार्थीगण के पिता व पति को खातेदारी अधिकार दिये थे। लेकिन वर्ष 1989 की चौसाला जमाबंदी मे अंतिम चौसाला के आधार पर उक्त भूमि को पुनः सिवायचक दर्ज कर दी जबकि उक्त आराजी पर आदिनांक तक प्रार्थीगण का कब्जा-काश्त है। वकील प्रार्थीगण ने बताया कि साबिक ख.न. 811 के नवीन ख.न. 997, 999, 1000 व 1001 बने जिसमे से ख.न. 997 व 1001 का आवंटन शैतान व रामसिंह को हो चुका है जबकि ख.न. 999 रकबा 04 बीघा पर प्रार्थीगण का कब्जा व आधिपत्य है जिसे गलत तरीके से सिवायचक दर्ज कर दिया गया है। अतः प्रार्थीगण को अप्रार्थी के विरुद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा जारी करवाने हेतु वकील प्रार्थीगण ने निवेदन किया। पैरोकार सरकार ने अपनी बहस मे बताया कि चूंकि वादग्रस्त आराजी सिवायचक दर्ज कर दी गयी है अतः भूमि पर खातेदारी अधिकार नहीं दिये जा सकते है। चूंकि सिवायचक भूमि पर खातेदारी अधिकार नहीं दिये जा सकते है अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे। हमने उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। उभय पक्ष की बहस व पत्रावली मे उपलब्ध दस्तावेजात	

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2021.12.02 10:44:26 IST
Reason: SelfAttested

के आधार पर अस्थायी निषेधाज्ञा के तीनो बिन्दू प्रार्थीगण के पक्ष में सिद्ध नही होते है क्यूंकि प्रार्थीगण मौके पर काबिज नही है अतः प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में प्रतीत नही होता है। चूंकि शिवायचक भूमि में खातेदारी अधिकार प्रदान नही किये जा सकते है, इससे राज्य हित भी प्रभावित होता है अतः सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष मे सिद्ध नही होता है। अपूरणीय क्षति का बिन्दू भी प्रार्थीगण के पक्ष मे सिद्ध नही होता है।

अतः उभय पक्ष की बहस एवं पत्रावली मे उपलब्ध दस्तावेजात के आधार पर अस्थायी निषेधाज्ञा के तीनों बिन्दू अप्रार्थी के पक्ष मे पाये जाने के कारण तथा प्रार्थना-पत्र अंतर्गत धारा-212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 का स्वीकार योग्य नही होने के कारण खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 29.10.2021 को मेरे द्वारा लिखा जाकर सरे-इजलास मे सुनाया गया।

29.10.21

उपखण्ड अधिकारी
पुष्कर (अजमेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2021.12.02 10:44:26 IST
Reason: SelfAttested